



डॉ० अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 13.03.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना सरायमीर – जनपद आजमगढ़

शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने के आरोप में 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12.03.2026 को थाना सरायमीर पर प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर यह आरोप लगाया गया कि अभियुक्त सौरभ अस्थाना उर्फ आयूष अस्थाना पुत्र राजन अस्थाना निवासी ग्राम फत्तनपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा पिछले 02 वर्षों से शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाया गया, साथ ही जेवरात भी अपने पास रख लिया। बाद में शादी से इंकार किया जा रहा है। उक्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 66/2026 धारा 69 बीएनएस बनाम सौरभ अस्थाना उर्फ आयूष अस्थाना पुत्र राजन अस्थाना निवासी फत्तनपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

उपरोक्त प्रकरण में तत्काल कार्यवाही करते हुए दिनांक 12.03.2026 को ही उ०नि० विद्याकांत सिंह मय हमराह द्वारा ग्राम फत्तनपुर से मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सौरभ अस्थाना उर्फ आयूष अस्थाना पुत्र राजन अस्थाना निवासी फत्तनपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को उसके घर से समय करीब 13:45 बजे गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. सौरभ अस्थाना उर्फ आयूष अस्थाना पुत्र राजन अस्थाना निवासी फत्तनपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु०अ०सं० 66/2026 धारा 69 बीएनएस थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० विद्याकांत सिंह, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
2. का० सौरभ पाण्डेय, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
3. म०का० ममता सिंह, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना सरायमीर – जनपद आजमगढ़

जमीनी विवाद में फायरिंग/मारपीट के मामले में वांछित 31-A हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 11.03.2026 को ग्राम छित्तेपुर थाना सरायमीर क्षेत्र में जमीनी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच फायरिंग व मारपीट की घटना के संबंध में उ0नि0 धीरज कुमार द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 63/2026 धारा 3(5), 109(1) बीएनएस बनाम एक पक्ष के 1. जैद खान पुत्र स्व0 फिरोज, 2. साकिब खान पुत्र स्व0 फिरोज, 3. तौफिक अहमद पुत्र स्व0 रफीक, 4. सादिक पुत्र अलकमा व अन्य अज्ञात सहयोगी तथा दूसरे पक्ष के 1. एहसान खान पुत्र स्व0 मतिउद्दीन, 2. ओबैश खान पुत्र एहसान खान, 3. उजैर पुत्र एहसान खान, 4. उमर पुत्र एहसान खान, 5. आफाक पुत्र स्व0 एकलाख, 6. हस्सान पुत्र स्व0 एकलाख व अन्य अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त प्रकरण में दिनांक 12.03.2026 को दबिश के दौरान दूसरे पक्ष के नामित अभियुक्त **एहसान खान** को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण—

दिनांक 12.03.2026 को उ0नि0 उदय बहादुर यादव मय हमराहियान के साथ देखभाल क्षेत्र, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग व वांछित अभियुक्तों की तलाश में मामूर थे। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त से संबंधित एक अभियुक्त नन्दांव मोड़ पर मौजूद है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम नन्दांव मोड़ पहुँची, जहाँ चाय की दुकान के पास खड़े व्यक्ति से पूछताछ की गयी। उसने अपना नाम ***एहसान खान पुत्र स्व0 मतिउद्दीन निवासी ग्राम छित्तेपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़*** बताया। नाम-पता की पुष्टि के उपरांत उसे मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त बताते हुए कारण गिरफ्तारी से अवगत कराते हुए समय करीब ***22:05 बजे*** हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त थाना सरायमीर का ***31-A हिस्ट्रीशीटर*** है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त—

1. एहसान खान पुत्र स्व0 मतिउद्दीन निवासी ग्राम छित्तेपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0 63/2026 धारा 3(5), 109(1) बीएनएस व 3/5/25/27 शस्त्र अधिनियम थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

अपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 563/2003 धारा 147/148/149/504/506/323/342/427 भादवि व 3(1)10 SC/ST थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।
2. मु0अ0सं0 109/2006 धारा 153ए भादवि थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ ।
3. मु0अ0सं0 204/2008 धारा 143/323/504/506 भादवि व 3(1)10 SC/ST ACT दीदारगंज जनपद आजमगढ़ ।
4. मु0अ0सं0 1627/2009 धारा 153ए थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 177/10 धारा 143/188 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ।
6. मु0अ0सं0 178/10 धारा 153बी/505 भादवि दो राष्ट्रीय ध्वज अपमान अधि0 थाना कोतवाली आजमगढ़
7. मु0अ0सं0 367/10 धारा 188 भादवि कोतवाली जनपद आजमगढ़ ।
8. मु0अ0सं0 487/2010 धारा 3(1) गुण्डा अधि0 थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ।

9. मु0अ0सं0 108/2013 धारा 147/323/336/341/427 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ।
10. मु0अ0सं0 109/2013 धारा 147/323/336/506/341 व 7 सीएलए एक्ट थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ।
11. मु0अ0सं0 191/2015 धारा 147/294/323/504/506 भादवि व 3(1)10 SC/ST Act थाना गम्भीरपुर
12. मु0अ0सं0 455/2015 धारा 147/148/149/352/504/307 भादवि थाना बरदह जनपद आजमगढ़ ।
13. मु0अ0सं0 29/2016 धारा 145/188/341/504/506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।
14. मु0अ0सं0 131/2020 धारा 143/353/336/504/427/436 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना तरवा जनपद आजमगढ़ ।
15. मु0अ0सं0 136/20 धारा 147/148/149/332/353/336/427/504/120 बी/279/188/34 भादवि व 7 सीएल एक्ट व 3 महामारी अधि0 थाना तरवां जनपद आजमगढ़ ।
16. मु0अ0सं0 123/2021 धारा 188/269/270 भादवि थाना व 3 महामारी अधि0 थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़ ।
17. मु0अ0सं0 093/2020 धारा 188/269/270 भादवि व 3 महामारी अधि0 थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ ।
18. मु0अ0सं0 168/2021 धारा 188/269/270 भादवि थाना व 3 महामारी अधि0 थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ ।
19. मु0अ0सं0 179/21 धारा 147/354/427/452/504/506/120बी भादवि व 3(1)द,ध व 3(2)5क SC/ST Act थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।
20. मु0अ0सं0 180/21 धारा 147/148/149/332/504/506/120 बी भादवि व 3(1)द,ध व 3(2)5क SC/ST Act, लोक सम्पत्ति क्षति निवा0 अधि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।
21. मु0अ0सं0 181/2021 धारा 147/148/149/332/504/506/353/223/511 /307/188 भादवि व 7 सीएलए एक्ट आजमगढ़ ।

अपराधिक इतिहास—

अभियुक्त के विरुद्ध विभिन्न थानों पर कुल 21 अपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं, जिनमें बलवा, मारपीट, आर्म्स एक्ट, एससी/एसटी एक्ट, लोक संपत्ति क्षति, महामारी अधिनियम आदि के गंभीर मामले सम्मिलित हैं।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. उ0नि0 उदय बहादुर यादव, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
2. का0 सौरभ पाण्डेय, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
3. का0 शशिकांत तिवारी, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट

थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़

गोवध निवारण अधिनियम के प्रकरण में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण—

दिनांक 10.03.2026 की रात्रि में चौकी प्रभारी फरिहा उ0नि0 चित्रांशु मिश्रा मय हमराहियान देखभाल क्षेत्र व संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग में मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम असीलपुर के खेत/बगीचे में कुछ व्यक्ति स्कार्पियो वाहन से गोवंश उतारकर वध करने की फिराक में हैं। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस बल के साथ

मौके पर पहुंचने पर पुलिस को देखकर दो व्यक्ति जो गोवंश उतार रहे थे तथा स्कार्पियो में बैठा एक अन्य व्यक्ति अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से फरार हो गये। मौके पर खड़ी स्कार्पियो वाहन संख्या **UP20 AA 2710** की तलाशी लेने पर उसके पास दो गाय के बछड़े मिले, जिनके चारों पैर व मुंह रस्सी से कसकर बांधे गये थे। पुलिस टीम द्वारा रस्सी खोलकर गोवंश को मुक्त कराया गया तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई। उक्त घटना के संबंध में दिनांक 11.03.2026 को थाना निजामाबाद पर **मु0अ0सं0 66/2026 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम** बनाम 03 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह को सुपुर्द की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण—

दिनांक 12.03.2026 को उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह, उ0नि0 चित्रांशु मिश्रा, उ0नि0 दिलीप आनन्द व उ0नि0 लच्छीराम राजभर मय हमराहियान अभियोग उपरोक्त के अनावरण हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि तीन व्यक्ति निजामाबाद से फूलपुर जाने वाले मार्ग पर मोहनाठ हाइड्रिल के पास पुलिया के निकट खड़े हैं तथा खेतों व सड़कों पर घूम रहे पशुओं को पकड़ने की फिराक में हैं। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर तीनों व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। पूछताछ में उन्होंने अपने नाम **1. मासूम परवेज उर्फ पप्पू पुत्र सानुल्लाह निवासी जगदीशपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़, 2. मनोज कुमार सिंह पुत्र राजनरायण सिंह निवासी खुरासो थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़, 3. जयचन्द पुत्र नन्दा निवासी बनवीरपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़** बताया। अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि वे अपने अन्य साथियों के साथ सड़कों व खेतों में घूम रहे गोवंशों को पकड़कर रस्सी से बांधकर उक्त स्कार्पियो वाहन में लादकर बंध हेतु ले जाते थे। अभियुक्तों को उनके अपराध से अवगत कराते हुए समय करीब **22:50 बजे** हिरासत पुलिस में लिया गया। अन्य 02 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0 66/2026 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त—

1. मासूम परवेज उर्फ पप्पू पुत्र सानुल्लाह निवासी जगदीशपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
2. मनोज कुमार सिंह पुत्र राजनरायण सिंह निवासी खुरासो थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
3. जयचन्द पुत्र नन्दा निवासी बनवीरपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़
2. उ0नि0 चित्रांशु मिश्रा, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़
3. उ0नि0 दिलीप आनन्द, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़
4. उ0नि0 लच्छीराम राजभर, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़
5. का0 अवधेश सिंह, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़
6. का0 संजीव कुमार शर्मा, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़
7. का0 प्रशांत कुमार सरोज, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट

थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़

मारपीट व जानलेवा हमले के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार बरामद

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण—

दिनांक 20.11.2025 को वादी श्री दिवाकर यादव पुत्र सदरी निवासी भलुवना थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना अतरौलिया पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनकी ग्राम कंतालपुर थाना अतरौलिया स्थित जमीन पर वादी के पुत्र विनोद कुमार द्वारा मिट्टी गिरवाते समय विपक्षीगण द्वारा कार्य रोक दिया गया। विरोध करने पर विपक्षीगण द्वारा गाली-गलौज करते हुए मारपीट की गयी तथा जान से मारने की नीयत से लोहे के बांके से गले पर प्रहार कर दिया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गयी। घटना में घायल वादी के पुत्र का इलाज आईकान हॉस्पिटल लखनऊ में कराया गया। उक्त प्रकरण के संबंध में विपक्षीगण 1. जयराम यादव पुत्र रामप्रताप, 2. जयराम की पत्नी (नाम अज्ञात) निवासीगण ग्राम कंतालपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ तथा 3. राजेश कुमार मिश्र पुत्र रामशब्द मिश्र निवासी भेलाडाड थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0 375/2025 धारा 115(2), 352, 351(3), 109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 मयंक नारायण सिंह द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण—

दिनांक 13.03.2026 को उ0नि0 मयंक नारायण सिंह मय पुलिस टीम देखभाल क्षेत्र में ग्राम सेनपुर में मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त जयराम यादव पुत्र स्व0 रामप्रताप यादव निवासी ग्राम कंतालपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ को ग्राम कंतालपुर बाजार स्थित एक पान की गुमटी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को उसके अपराध से अवगत कराते हुए नियमानुसार समय करीब 11:30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद बांका (धारदार हथियार) उसके घर ग्राम कंतालपुर से बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग—

मु0अ0सं0 375/2025 धारा 115(2), 352, 351(3), 109(1) बीएनएस थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त—

1. जयराम यादव पुत्र स्व0 रामप्रताप यादव निवासी ग्राम कंतालपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 34 वर्ष।

बरामदगी—

01 अदद बांका (धारदार हथियार)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. उ0नि0 मयंक नारायण सिंह, थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 संत कुमार, थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
3. का0 उमेश कुमार, थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट

थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़

नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण—

दिनांक 10.03.2026 को थाना अतरौलिया पर प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर यह आरोप लगाया गया कि एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 093/2026 धारा 137(2), 87, 127(3) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त प्रकरण की विवेचना उ0नि0 राजेन्द्र कुमार द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण—

दिनांक 10.03.2026 को उ0नि0 राजेन्द्र कुमार मय हमराह का0 महेश सरोज के साथ मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त अनीश पुत्र अनिल निवासी ग्राम चिस्तीपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ को छितौनी मोड़ से समय करीब 11:30 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को उसके अपराध से अवगत कराते हुए नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0 093/2026 धारा 137(2), 87, 127(3) बीएनएस थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. अनीश पुत्र अनिल निवासी ग्राम चिस्तीपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 20 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. उ0नि0 राजेन्द्र कुमार, थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
2. का0 महेश सरोज, थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

प्रेस-नोट

थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़

शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण व धमकी देने के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास—

दिनांक 12.03.2026 को थाना फूलपुर पर प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर यह आरोप लगाया गया कि ग्राम भेड़िया निवासी अभियुक्त प्रिन्स मौर्य पुत्र विनोद मौर्य द्वारा वादिनी को बहला-फुसलाकर अपने झांसे में लिया गया तथा शादी का झांसा देकर उसका वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी गई और जबरदस्ती अवैध संबंध बनाया गया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गयी। उक्त तहरीर के आधार पर थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0 91/2026 धारा 69/351(3) बीएनएस बनाम प्रिन्स मौर्य पुत्र विनोद मौर्य निवासी ग्राम भेड़िया थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 सत्येन्द्र कुमार द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण—

उ0नि0 सत्येन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा क्षेत्र में चेकिंग व वांछित अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त प्रिन्स मौर्य पुत्र विनोद मौर्य निवासी ग्राम भेड़िया थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 25 वर्ष को भेड़िया नदी पुल के नीचे से दिनांक 13.03.2026 समय करीब 12:30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

1. प्रिन्स मौर्य पुत्र विनोद मौर्य निवासी ग्राम भेड़िया थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 25 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0 91/2026 धारा 69/351(3) बीएनएस थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. उ0नि0 सत्येन्द्र कुमार, थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
2. का0 अनुपम सिंह, थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

प्रेस-नोट

थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

जान से मारने की नियत से हमला करने वाले 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 03 चाकू बरामद

पूर्व की घटना/इतिहास—

दिनांक 13.03.2026 को प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर यह आरोप लगाया गया कि दिनांक 12.03.2026 को रात्रि लगभग 21:30 बजे ग्राम नेवादा रजानगर में कहासुनी के बाद कुछ व्यक्तियों द्वारा घर में घुसकर गाली-गलौज करते हुए चाकू से हमला कर दिया गया, जिससे एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया तथा बीच-बचाव करने आये अन्य परिजनों को भी चोटें आईं साथ ही दरवाजे पर खड़े दोपहिया वाहन को भी क्षति पहुँचाई गयी। इस संबंध में थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 97/2026 धारा 3(5), 333, 352, 109(1), 118(1), 115(2), 324(4) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना व0उ0नि0 वीरेन्द्र यादव द्वारा की जा रही है। विवेचना के दौरान धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण—

दिनांक 13.03.2026 को व0उ0नि0 वीरेन्द्र यादव मय हमराह द्वारा क्षेत्र में वांछित अभियुक्तों की तलाश व चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्तगण 1. सलीम जावेद, 2. अब्दुल अजीम, 3. अब्दुल कादिर निवासीगण ग्राम नेवादा रजानगर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को पिचरी गेट के पास से दिनांक 13.03.2026 समय करीब 11:00 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 03 अदद चाकू को नेवादा पानी की टंकी के पास से बरामद किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त —

1. सलीम जावेद पुत्र स्व० सगीर निवासी नेवादा रजानगर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
2. अब्दुल अजीम पुत्र स्व० सगीर निवासी नेवादा रजानगर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
3. अब्दुल कादिर पुत्र स्व० सगीर निवासी नेवादा रजानगर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी -

03 अदद चाकू (आला जुर्म)

पंजीकृत अभियोग -

मु०अ०सं० 97/2026 धारा 3(5), 333, 352, 109(1), 118(1), 115(2), 324(4) बीएनएस व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ०नि० वीरेन्द्र यादव, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।
2. हे०का० त्रिलोकी नाथ सिंह, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।
3. हे०का० सुनील सिंह, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।
4. का० राहुल गौड़, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

प्रेस-नोट

थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़

₹4.66 लाख की हेराफेरी करने वाला वांछित आरोपी फूलपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा

पूर्व की घटना/इतिहास -

दिनांक 05.11.2025 को वादी श्री विश्वजीत कुमार सिंह, शाखा प्रबंधक **IIFL Samasta Finance Limited** द्वारा थाना फूलपुर पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि कम्पनी में सेल्स ऑफिसर के पद पर नियुक्त कर्मचारी **विजय विश्वकर्मा पुत्र राजकुमार विश्वकर्मा** द्वारा विभिन्न तिथियों में ग्राहकों से स्वीकृत ऋण की किश्तों के रूप में प्राप्त कुल **₹4,66,383/-** रुपये (यूपीआई व नकद) कम्पनी के खाते में जमा करने के बजाय बेईमानीपूर्वक अपने उपयोग में खर्च कर लिये गये। इस संबंध में थाना फूलपुर पर **मु०अ०सं० 537/2025 धारा 316(2)/352/351(3) बीएनएस** बनाम **विजय विश्वकर्मा** उपरोक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ०नि० दिनेश कुमार पाण्डेय द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण -

उ०नि० दिनेश कुमार त्रिपाठी मय हमराह द्वारा वांछित अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान अभियुक्त **विजय विश्वकर्मा पुत्र राजकुमार विश्वकर्मा** निवासी ग्राम मझवां थाना कछवां जनपद मिर्जापुर, उम्र लगभग 23 वर्ष को खुरासन रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नम्बर-01 से दिनांक 13.03.2026 समय करीब 13:25 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त -

विजय विश्वकर्मा पुत्र राजकुमार विश्वकर्मा निवासी ग्राम मझवां थाना कछवां जनपद मिर्जापुर, उम्र लगभग 23 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग -

01. मु०अ०सं० 537/2025 धारा 316(2)/352/351(3) बीएनएस, थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

01. उ०नि० दिनेश कुमार त्रिपाठी, थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।
02. हे०का० राजीव यादव, थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

-:प्रेस नोट रूट-डायवर्जन:-

दिनांक 14.03.2026 तथा 15.03.2026 को प्रस्तावित उ0प्र0 उप निरीक्षक नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा 2025-26 के दृष्टिगत शहर अन्तर्गत यातायात व्यवस्था हेतु निम्न रूट डायवर्जन दिनांक 14/15.03.2026 समय प्रातः 06.00 बजे से शायं 18.00 बजे तक किया जाता है।

1. शंकर तिराहा से चौक चौराहा, पुरानी कोतवाली होते हुए पहाड़पुर तिराहा की तरफ जाने वाले तीन पहिया/चार पहिया व माल वाहक वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
2. पहाड़पुर तिराहा से पुरानी कोतवाली, चौक चौराहा से होते हुए शंकर तिराहा, बड़ादेव की तरफ जाने वाले तीन पहिया, चार पहिया व माल वाहक वाहनो का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
3. काली चौरा से कोट चौराहा होते हुए हर्षा की चुंगी की तरफ जाने वाले चार पहिया व माल वाहक वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
4. हर्षा की चुंगी से कोट चौराहा से होते हुए काली चौरा की तरफ जाने वाले चार पहिया व माल वाहक वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
5. पाण्डेय बाजार से होते हुए पुरानी सब्जी मण्डी, लाल डिग्गी, शंकर तिराहा, बड़ादेव की तरफ जाने वाले चार पहिया व माल वाहक वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
6. बड़ादेव, शंकर तिराहा, लाल डिग्गी, पुरानी सब्जी मण्डी से होते हुए पाण्डेय बाजार की तरफ जाने वाले चार पहिया व माल वाहक वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
7. करतालपुर तिराहा से ब्रह्मस्थान, पाण्डेय बाजार, पहाड़पुर की तरफ भारी मालवाहक वाहन का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
8. मऊ रोड शंकर तिराहा से सिधारी पुल की तरफ भारी मालवाहक वाहन का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

थाना – साइबर क्राइम, जनपद आजमगढ़, दिनांक : 13 मार्च 2026

म्यूल खाते खुलवाकर झारखण्ड के फ्राडस्टरो को खाते देकर फ्राड राशि मंगाने वाला शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार

डॉ० अनिल कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री चिराग जैन व अपर पुलिस अधीक्षक यातायात श्री विवेक त्रिपाठी के कुशल पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम श्रीमती आस्था जायसवाल के मार्गदर्शन में थाना साइबर क्राइम आजमगढ़ की टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

घटना व गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 13.03.2026 को उ०नि० कलाप कलाधर त्रिपाठी मय हमराह टीम के थाना हाजा से जांच प्रतिबिम्ब पोर्टल व म्यूल खाताधारकों की पहचान पतारसी में खाना होकर नरौली आजमगढ़ पुल के पास मौजूद था कि मुखबिर खास की सूचना कि एक व्यक्ति इन्डियन बैंक कलेक्ट्रेट के पास मौजूद है जो कि लोगो को झांसे में लेकर फर्जी खाते खुलवाता है तथा साइबर फ्राड के पैसे भी मंगाता है को इन्डियन बैंक कलेक्ट्रेट के पास से गिरफ्तार किया गया है। व्यक्ति का नाम रितिक कुमार पुत्र शिवाधार राम निवासी 16 अनन्तपुरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ है। जिसके जामा तलाशी से एक अदद मोबाइल शाओमी रेडमी नोट 12 प्रो जिसमें सिम 7521865650 लगी हुई है तथा 2500 रु नगद व एक अदद आधार कार्ड, एक अदद पैन कार्ड व एक अदद एटीएम कार्ड DBS BANK का बरामद हुआ है। मोबाइल फोन के विश्लेषण व तकनीकी आधार पर कड़ाई से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि काफी समय से अपने ऊपर के हेन्डलरों के सम्पर्क में है, और उनके माध्यम से साइबर फ्राड करने वाले लोगो से जुड़ा है तथा उनके निर्देशो के अनुसार साइबर फ्राड का काम करता है और जनता के लोगो को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने व कमीशन का लालच देकर खाते खुलवाता है तथा दुसरे की आईडी से फर्जी तरीके से सिम 9365745515 , 9235100412 लेकर उनके खातों में मोबाइल नम्बर लिंक कराकर खाते का संचालन स्वयं करता है। फ्राड की धनराशि खाते में आने के बाद अपना कमीशन लेकर अपने हेन्डलरों के बताये खातों में खातों CDM मशीन से नगद जमा कर देता है। अपने फोन में NAVI, JUPITER, DBS, PNB, SBI YONO, OMNI, JIO PAYMENT BANK, PHONPE, GOOGLE PAY, NSDL BANK, IPPB BANK में कई लोगो के खातो को लिंक कराकर साइबर धोखाधडी करता है। प्राप्त 09 खातों पर 10 NCRP शिकायते भिन्न भिन्न राज्यो से होना पाया गया है। फर्द गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु०अ०सं 12/26 धारा 318(4),319(2),317(2) बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

अपराध का तरीका (Modus Operandi)-

अभियुक्त द्वारा बताया गया कि काफी समय से मो०नं० 7484832571 व 7047067572 व कई अन्य नम्बरो से जो कि मेरे ऊपर के हेन्डलरों का है, के माध्यम से साइबर फ्राड करने वाले लोगो से जुड़ा हूँ तथा उनके निर्देशो के अनुसार साइबर फ्राड का काम करता हूँ। जिसमें मैं लोगो को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने व कमीशन का लालच देकर खाते खुलवाता हूँ तथा दुसरे की आईडी से फर्जी तरीके से सिम 9365745515 , 9235100412 लिया हूँ। जिनका उपयोग करके लोगो के खातो से लिंक किया हूँ तथा संचालन भी मैं ही करता हूँ। अपने फोन में NAVI, JUPITER, DBS, PNB, SBI YONO, OMNI, JIO PAYMENT BANK, PHONPE, GOOGLE PAY, NSDL BANK, IPPB BANK में कई लोगो के खातो को लिंक कर लेता हूँ तथा मेरे मोबाइल में जो सिम लगी है उसमें से 7521865650 मेरी है तथा दुसरी सिम 9365745515 दुसरे की आईडी से फर्जी तरीके से लिया हूँ। इन खातो में साइबर फ्राड की जो भी रकम मेरे हेन्डलरो के माध्यम से लोगो से धोखाधडी करके आती है उसमें से दस प्रतिशत धनराशि मुझे लाभ के रूप में मिलती है उसे लेकर बाकी पैसे मैं नगद निकालकर उनके बताये हुए खातों CDM मशीन से नगद जमा कर देता हूँ। हेन्डलरों का नाम मैं नहीं जानता हूँ। वे लोग झारखण्ड के रहने वाले हैं। टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से

मिले थे।

गिरफ्तार अभियुक्त के नाम-

1. रितिक कुमार पुत्र शिवाधार राम निवासी 16 अनन्तपुरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष

आपराधिक इतिहास अभियुक्त-

- 1- मु0अ0सं 137/25 धारा 318(4),319(2) BNS थाना पलवल, हरियाणा
- 2- मु0अ0सं 12/26 धारा 318(4),319(2),317(2) बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट साइबर क्राइम थाना आजमगढ़

बरामदगी-

कार्यवाही में निम्न माल बरामद हुआ—

01 अदद मोबाइल फोन (Android)

2500 रूपये नगद

1 अदद पैस कार्ड

1 अदद आधार कार्ड

1 अदद एटीएम कार्ड

कार्यवाही में सम्मिलित पुलिस टीम-

म0नि0 विभा पाण्डेय थाना साइबर क्राइम

उनि0 योगेन्द्र प्रसाद थाना साइबर क्राइम

उ0नि0 कलाप कलाधर त्रिपाठी थाना साइबर क्राइम

का0 सभाजीत मौर्य थाना साइबर क्राइम

का0 रामाश्रय यादव थाना साइबर क्राइम

का0 कुंज बिहारी थाना साइबर क्राइम

का0 मुकेश भारती थाना साइबर क्राइम

